संख्या:02/2020/2630(1)/33-3-2019-एल.सी./2019

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक,**
पंचायती राज, उ0प्र0।

2- **समस्त जिलाधिकारी,**
उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: 07 फरवरी, **2020**

विषय: राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में प्राथमिकता निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2630/33-3-2019-एल0सी0/ 2019 दिनांक-18.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष-2020-21 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्ययोजना की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक **18.12.2019** में कुछ ऐसे बिन्दु अंकित हो गये है, जिनका उल्लेख चतुर्थ राज्य वित्त एवं **14**वें वित्त आयोग की मार्ग-निर्देशिका में नहीं है, जैसे व्यक्तिगत शौचालय आदि।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक-**18.12.2019** द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं मे से उन्ही कार्यो को ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए, जिनका प्रावधान राज्य वित्त एवं **14**वें वित्त आयोग की मार्ग-निर्देशिका में किया गया है।

3- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक **18.12.2019** को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगीं।

भवदीय

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

3- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

5- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।